भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 7802/2019

(एसएलपी (सी) संख्या 4772/2017से उत्पन्न)

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। .... अपीलकर्ता

बनाम

दानिश खान .... प्रतिवादी

साथ

सिविल अपील संख्या 7803/2019

(एसएलपी (सी) संख्या 13139/2017से उत्पन्न)

<u>निर्णय</u>

<u>एल. नागेश्वर राव, न्यायाधीश</u>

1. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (संक्षिप्त में, 'निगम') ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ के निर्णय से व्यथित होकर उपरोक्त अपील दायर की है, जिसके द्वारा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम अनुकंपा नियुक्ति विनियम, 2010 (संक्षेप में, 'विनियम') के विनियम 4(3) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला घोषित किया गया है।

2. प्रतिवादी के पिता मोहम्मद शाहिद, जो अपीलकर्ता-निगम में सहायक के रूप में कार्यरत थे, की मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह अपीलार्थी-निगम की एक बस में यात्रा कर रहा था जो दूसरी बस से

टकरा गई थी। प्रतिवादी द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, टोंक (संक्षिप्त में, 'अधिकरण') के समक्ष मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 और 140 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के तहत दावा किया गया था। 1,35,50,000/- रुपये की राशि का दावा किया गया था, लेकिन न्यायाधिकरण ने 22,95,775/- रुपये का मुआवजा दिया।

3. प्रतिवादी ने अपीलार्थी-निगम के मुख्य प्रबंधक को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की मांग करते हुए अभ्यावेदन दिया। अनुकंपा नियुक्ति के अनुरोध को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि प्रतिवादी विनियमों के विनियम 4(3) के आलोक में हकदार नहीं था। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के अनुरोध की अस्वीकृति से असंतुष्ट, प्रतिवादी ने विनियम 4(3) की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.08.2016 के एक निर्णय द्वारा रिट याचिका को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि विनियमों का विनियम 4(3) भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

4. उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति का उद्देश्य कमाने वाले के परिवार के सदस्यों की कठिनाई को कम करना है और इसलिए संकट में परिवार को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए। विनियमों के विनियम 4(3) के अनुसार अपीलार्थी-निगम के वाहन में यात्रा करते समय किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अधिनियम के अन्तर्गत अनुकम्पा नियुक्ति एवं क्षतिपूर्ति दोनों का दावा निगम के विरूद्ध नहीं किया जा सकता है। विनियम 4(3) को भेदभावपूर्ण पाया गया क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति उस कर्मचारी को प्रदान की जा सकती है जो निगम से संबंधित नहीं होने वाले वाहन में यात्रा करते समय दुर्घटना

में मर जाता है, हालांकि उसने अधिनियम के तहत वाहन के मालिक या बीमा कंपनी से मुआवजे का दावा किया था।

5. आगे बढ़ने से पहले, विनियमों के विनियम 4(3) पर ध्यान देना प्रासंगिक है जो इस प्रकार है:

"निगम के किसी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने या निगम के वाहन से चपेट में आने पर मृत्यु हो जाने पर, यदि मृत कर्मचारी के कानूनी प्रतिनिधि दुर्घटना न्यायाधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर करके निगम से मुआवजे की मांग की जाती हैं और उसमें अवार्ड पारित किया जाता है या मामला न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित रहता है, ऐसे मामले में मृतक कर्मचारी के कानूनी प्रतिनिधियों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति लेने का कोई अधिकार नहीं होगा । यदि मुआवजा दिया जाता है या मामला ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित रहता है। यदि निगम के किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर अनुकम्पा नियुक्ति के समय उसका विधिक प्रतिनिधि उसके लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करता है, फिर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन के साथ कानूनी प्रतिनिधि द्वारा 10/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर एक हलफनामा दिया जाना चाहिए कि निगम के खिलाफ किसी भी सक्षम अदालत के समक्ष कोई दावा याचिका दायर नहीं की गई है और यह भी कि भविष्य में ऐसा कोई दावा दायर नहीं किया जाएगा। अगर भविष्य में भी कोई कानूनी प्रतिनिधि एमएसीटी के समक्ष दावा याचिका दायर करता है तो नियोक्ता/निगम को बिना किसी नोटिस के मेरी नियुक्ति रद्द करने का अधिकार होगा और वह किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष इस तरह की बर्खास्तगी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कर सकेगा।"

6. उक्त विनियम के अनुसार, अपीलार्थी-निगम के वाहन में यात्रा करते

समय निगम के किसी कर्मचारी की मृत्यु अधिनियम के तहत मुआवजे के साथ-साथ अपीलकर्ता-निगम में अनुकंपा नियुक्ति के दावे को जन्म नहीं दे सकती है। हमारे विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि विनियम 4(3) भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। उच्च न्यायालय द्वारा इसे असंवैधानिक ठहराने का कारण यह है कि अपीलकर्ता-निगम के स्वामित्व वाले वाहन से दुर्घटना में मारे गए कर्मचारी के आश्रित अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने के बाद अनुकंपा नियुक्ति के हकदार नहीं हैं और अपीलार्थी-निगम के गैर स्वामित्व वाले वाहन में यात्रा करते समय दुर्घटना में मृत कर्मचारी के आश्रित वाहन के मालिक या बीमा कंपनी के खिलाफ, जैसा भी मामला हो, अधिनियम के तहत मुआवजा पाने के हकदार हैं और साथ ही अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने का अधिकार भी है। उच्च न्यायालय का मत था कि निगम के कर्मचारियों के आश्रितों, जिनकी मृत्यु निगम के वाहन में यात्रा के दौरान दुर्घटना के कारण हुई है, को उन कर्मचारियों के आश्रितों से अलग नहीं माना जा सकता है, जिनकी निगम से संबंधित नहीं होने वाले वाहन में यात्रा करते समय एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई।

7. निगम ने अनुकंपा नियुक्ति के दावों के संबंध में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के दो वर्ग बनाए हैं। निगम के वाहन से हुई दुर्घटना में मृत कर्मचारी के आश्रितों की अयोग्यता का कारण अपीलकर्ता-निगम पर अतिरिक्त बोझ से बचना है। ऐसे प्रकरणों में अपीलार्थी-निगम को अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा तथा मृतक कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति भी प्रदान करनी होगी। ऐसे मामले में जहां अपीलकर्ता-निगम का वाहन दुर्घटना में

शामिल नहीं है, अधिनियम के तहत मुआवजा अपीलकर्ता-निगम का दायित्व नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि एक कर्मचारी के आश्रित जो अधिनियम के तहत मुआवजे और अपीलकर्ता-निगम से अनुकम्पा नियुक्ति दोनों का दावा करते हैं, मृतक कर्मचारी के आश्रितों के समान हैं, जिनका दावा अधिनियम के तहत एक निजी मालिक या एक बीमा कंपनी के खिलाफ है, एवं अपीलार्थी-निगम से अनुकम्पा नियुक्ति।

8. मृत कर्मचारी के आश्रित जो अधिनियम के तहत निगम से मुआवजे का और अपीलकर्ता-निगम से अलग वर्ग से अनुकम्पा नियुक्ति का दावा करते हैं । यह अच्छी तरह से तय है कि हालांकि अनुच्छेद 14 वर्ग कानून को प्रतिबंधित करता है, यह कानून के प्रयोजनों के लिए उचित वर्गीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता है। जब किसी भी विवादित नियम या वैधानिक प्रावधान को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, तो इसकी वैधता को बनाए रखा जा सकता है यदि दो परीक्षण संतुष्ट हों। पहला परीक्षण यह है कि जिस वर्गीकरण पर यह स्थापित किया गया है वह एक सुबोध भिन्नता पर आधारित होना चाहिए जो समूह से बाहर किए गए अन्य लोगों से एक साथ समूहीकृत व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है; और दूसरी कसौटी यह है कि विचाराधीन अंतर का नियम या वैधानिक प्रावधान द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से उचित संबंध होना चाहिए।

9. यह मानते हुए कि मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की दो श्रेणियों का वर्गीकरण उचित है, जो जांच की जानी बाकी है वह यह है कि क्या विनियम 4(3) द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ वर्गीकरण का कोई तर्काधार संबंध है। जिस मंशा से विनियम 4(3) बनाया गया है, अधिनियम के तहत मुआवजे के भुगतान में निगम की देनदारी को कम करना और उसी व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करना है। हम पाते

हैं कि वर्गीकरण के आधार और विनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच एक तर्कसंगत संबंध है।

10. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रेखाबेन और अन्य में इस न्यायालय के एक फैसले का उल्लेख करना उपयोगी है। इस न्यायालय के विचार के लिए जो प्रश्न उठा, वह वेतन की कटौती से संबंधित था, जो दावेदार द्वारा उसके पति की मृत्यु के लिए अधिनियम के तहत देय मुआवजे की गणना करते समय अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए जाने के बाद अर्जित किया गया था। यह माना गया था कि अनुकंपा नियुक्ति द्वारा अर्जित वेतन को उस मुआवजे से नहीं काटा जा सकता है जो दावेदार अधिनियम के तहत हकदार है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया था कि अगर नियोक्ता उल्लंघन करने वाले वाहन का मालिक था और इस तरह अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, तो अनुकंपा नियुक्ति से मिलने वाला वेतन काटा जा सकता था। दूसरे शब्दों में, जिस नियोक्ता ने अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की है, वह यह गणना करते समय आश्रित के वेतन में कटौती का दावा कर सकता है कि क्या वह उल्लंघन करने वाले वाहन का मालिक होने के नाते अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

11. आश्रितों की दो श्रेणियां अर्थात निगम के वाहन में यात्रा करते समय किसी दुर्घटना में मृत कर्मचारियों के आश्रित तथा कर्मचारियों के आश्रित जो निगम से संबंधित नहीं होने वाले वाहन में यात्रा करते समय मर गए, वे निगम के खिलाफ अपने दावों के संबंध में समान रूप से स्थित नहीं हैं। उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसलिए, विनियम 4(3) को भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। उपरोक्त विचार में, हम

उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत नहीं हैं कि विनियमन 4(3) संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

12. जैसा कि प्रतिवादी ने अधिनियम के तहत मुआवजा प्राप्त किया है, वह विनियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए हकदार नहीं है।

13. उपरोक्त के मद्देनजर, उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाता है, अपील स्वीकार की जाती है।

सिविल अपील संख्या 7803/2019

(एसएलपी (सी) संख्या 13139/2017से उत्पन्न)

अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रतिवादी द्वारा दिया गया आवेदन निगम द्वारा विनियमों के विनियम 4(3) के तहत अनुरक्षणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था, इस तथ्य के कारण कि प्रतिवादी ने अधिनियम के तहत दावा याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को सिविल रिट याचिका संख्या 13862/2014के एक निर्णय के अंतर्गत आने की अनुमति दी। सिविल अपील संख्या 7802/2019 (एस.एल.पी. (सी) संख्या 4772/2017) में निर्णय के संदर्भ में निगम द्वारा दायर अपील स्वीकार की जाती है।

न्यायाधीश [एल. नागेश्वर राव]

न्यायाधीश [हेमंत गुप्ता]

नयी दिल्ली,
अक्टूबर 04, 2019

(Translation has been doen through AI Tool : SUVAS with the help of Translator)

Disclaimer : The translated judgment in vernacular language made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.